

कार्यालय

क्रमांक:

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ1(12) एफडी/रॉल्स/ 2005 जयपुर दिनाक-3.9.2008 के अनुसार स्थानीय कार्यालय के अधीन कार्यरत निम्नांकित अधिकारियों/ कर्मचारियों को उनके आवेदन किये जाने पर वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निम्नानुसार उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की मूल सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी मय पद	मूल वेतन	नकद देय भुगतान की राशि			उपार्जित अवकाश का ब्यौरा		
			मूल वेतन	महंगाई	योग	कुल अवकाश	नकदीकरण हेतु स्वीकृत दिनों की संख्या	शेष अवकाश
1.	श्री.....							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

हस्ता. संस्था प्रधान

प्रतिलिपि:-

- 1.श्रीमान् कोषाधिकारी महोदय, उपकोष.....
- 2.बिल/लेखा शाखा
- 3.कार्यालय प्रति/निजी पंजिका
- 4.सम्बन्धित श्री.....

हस्ता. संस्था प्रधान